बजट भाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैंने वित्तीय वर्ष 2004–05 का वार्षिक वित्तीय विवरण इस सदन में दिनांक 27 फरवरी 2004 को प्रस्तुत किया था। लोकसभा निर्वाचन की घोषणा के कारण राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 का अंतरिम बजट ही प्रस्तुत किया गया था। अंतरिम बजट प्रस्तुत करने के पश्चात हमें राज्य के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का पुनः आंकलन करने और प्रदेश के विकास के लिए नई योजनाओं की परिकल्पना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रदेश के विकास की इन्हीं परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए मेरे द्वारा आज वर्ष 2004–05 के लिए यह पुनरीक्षित बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान हमारी सरकार ने राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति पर श्वेतपत्र प्रस्तुत किया था। श्वेतपत्र में हमने बताया था कि विगत 10 वर्षों में हमारी आर्थिक विकास दर 3.69 प्रतिशत रही जबकि राष्ट्रीय औसत 6.5 प्रतिशत था। इसी प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय वर्ष 2001–02 में रुपये 7635 थी जबकि राष्ट्रीय वार्षिक आय रुपये 10779 थी। प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालो की संख्या 37.43 प्रतिशत थी जबकि राष्ट्रीय प्रतिशत 26.1 है। इसी विरासत के साथ हमने सत्ता संभाली थी। विगत दशक में आर्थिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरुप पूरे देश की औसत विकास दर में जहां एक ओर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं भौतिक तथा सामाजिक अधोसंरचनाओं में कमियों के कारण हमारा राज्य आर्थिक उदारीकरण की नीति का लाभ प्राप्त करने से वंचित रहा। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य संसाधनों के बटवारे की वर्तमान व्यवस्था दोषपूर्ण है। हमारी सरकार

व्दारा ऐसी अधोसंरचनाओं तथा सुविधाओं को चिन्हित किया गया है जिनमें सुधार लाकर हम अपनी विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं।

3. अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से मध्यप्रदेश एक संपन्न राज्य है। देश के कुल वनक्षेत्र का 12.4 प्रतिशत वनक्षेत्र मध्यप्रदेश में स्थित है। प्रदेश अनेक नदियों का उद्‌गम स्त्रोत है। हमारे पास विपुल खनिज संपदा है। हमारे लोग मेहनतकश हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद भी राज्य आर्थिक तथा सामाजिक विकास का लाभ विगत दशक में प्राप्त नहीं कर सका।

4. जहां पूर्व में वन सम्पदा से हमें विकास कार्यो के लिए महत्वपूर्ण राजस्व की प्राप्ति होती थी, वहीं पिछले कुछ वर्षो से कानूनी बाध्यताओं के कारण वन सम्पदा से विकास के लिए प्राप्त हो रहे राजस्व में कमी आयी है। इन्ही कानूनी बाध्यताओं के कारण प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विकास की गति भी अवरूद्ध हुई है। राष्ट्र के हित में हम इस वन सम्पदा के संरक्षण पर अपने सीमित राजस्व में से विपुल धनराशि व्यय करते हैं। वन संरक्षण की आवश्यकता के कारण हमारी अधोसंरचना विकास परियोजनाओं की लागत में वृद्धि होती है।

5. हम सभी जानते हैं कि प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसका जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम है। प्रदेश के गांव टोलों, पारों, मजरों, आदि में बॅटे हुए हैं जो व्यावहारिक दृष्टि से अपने आप में पृथक गांव हैं। एक ही गांव के इन हिस्सों की एक दूसरे से दूरी के कारण गांव में उपलब्ध करायी जाने वाली शैक्षणिक, पेयजल, सड़क, बिजली, आदि सुविधाओं का पूरा लाभ इन सभी हिस्सों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। इससे अधोसंरचना के विकास एवं संरक्षण की लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस कारण से अन्य राज्यों की तुलना में इन सुविधाओं पर हमारा व्यय अपेक्षाकृत अधिक होता है।

6. अपनी खनिज सम्पदा के दोहन पर हमें रायल्टी प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है परंतु केन्द्र सरकार व्दारा अपनी खनिज कम्पनियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुये रायल्टी की दर निर्धारित की जाती है और हमारे जैसे राज्यों के हितों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खनिज राजस्व की दृष्टि से कोयला हमारा सबसे प्रमुख खनिज संसाधन है। इस खनिज के लिये रायल्टी का निर्धारण खनिज के मूल्य के आधार पर अर्थात एडवलोरम करने की हमारी मांग है जिससे कोयले की कीमतों में समय समय पर होने वाली वृद्धि का लाभ खनिज राजस्व के रुप में हमें प्राप्त हो। केन्द्र सरकार समय समय पर कोयले की कीमतों में वृद्धि करती हैं परन्तु इसकी रायल्टी में वृद्धि का विरोध करती हैं। अभी पिछले दिनों ही केन्द्र की नयी सरकार व्दारा कोयले की कीमतों में लगभग 16 प्रतिशत वृद्धि की गई है जिसके कारण ताप विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि का बोझ हम पर पड़ा है, परन्तु रायल्टी वृद्धि की हमारी मांग पर कार्यवाही अभी भी लम्बित है।

7. जिन कानूनी तथा अन्य बाध्यताओं के कारण हम अपने राजस्व स्त्रोतों का पूरा दोहन विकास के लिये धनराशि जुटाने हेतु नहीं कर पा रहे हैं, उनके बारे में हमने अपना पक्ष सशक्त रुप से 12वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया है। केन्द्र–राज्य राजकोषीय संबंधों की पुनर्संरचना आवश्यक है जिससे राज्यों को उनके विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकें।

8. विकास की पर्याप्त संभावनाओं के होते हुए भी बिजली तथा सड़क जैसी भौतिक अधोसंरचनाओं की अपर्याप्तता के कारण प्रदेश निजी पूंजीनिवेशकों को आकर्षित करने में पूर्व में असफल रहा है। जनता ने हमें इन कमियों को दूर कर प्रदेश की विकास दर में वृद्धि लाने का एक अवसर दिया है और इसी भावना के अनुरुप हमने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के लिये आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया है।

9. हमें स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्रों में विकसित राज्यों के बराबर आने के लिये विशेष प्रयास की आवश्यकता है। हमने इस बजट में जहां एक ओर भौतिक अधोसंरचना के लिये पूंजीनिवेश बढ़ाने का प्रयास किया है, वहीं स्वास्थ्य तथा शिक्षा के विकास पर भी प्रावधान बढ़ाया है।

10. इस दृष्टि से, यह पुनरीक्षित बजट राज्य के विकास के लिये वर्तमान में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिये नयी सरकार व्दारा अपनायी जाने वाली नीति की अभिव्यक्ति है।

11. राज्य की राजकोषीय स्थिति उसके आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर है। हमारे आय के साधन कम हैं और हमारे कर का आधार सीमित है। अतः राज्य के विकास की आवश्यकताओं की दृष्टि से हमारा बजट छोटा रहता है। पर्याप्त पूंजीनिवेश के अभाव में राज्य की आय कम हैं। अतः हम एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। हमारी सरकार का दृढ़निश्चय है कि राज्य को इस दुष्चक्र से बाहर निकाला जाए। प्रदेश में पूंजीनिवेश बढ़ाना हमारी तात्कालिक आवश्यकता है और इसके लिये हमें अपने राजस्व घाटे में कमी लानी होगी। हम अपने चालू खर्चों के लिये उधार नहीं ले सकते हैं। राजस्व घाटे में एक रुपये की कमी करने से हम पूंजीगत व्यय हेतु दस रुपये का ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उसका उपयोग सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में पूंजीनिवेश हेतु किया जा सकता है। इस पूंजीनिवेश से रोजगार के अवसर निर्मित होंगे तथा भविष्य में राजस्व की अधिक प्राप्ति होगी जिससे मूलभूत सुविधाओं के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो सकेगी। इस प्रकार राजस्व में वृद्धि तथा खर्चों की कटौती व्दारा राजस्व घाटा कम करके हम अपनी भविष्य की पीढ़ी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगे।

12. राज्य के खर्चों की समीक्षा करने पर हमने पाया कि हम अपनी कुल राजस्व आय का 37 प्रतिशत वेतन आदि पर, 9 प्रतिशत पेंशन पर, आयोजनेत्तर अनुदानों पर 15 प्रतिशत व 21.5 प्रतिशत ब्याज भुगतान पर कर रहे है। इसके फलस्वरूप विकासीय आवश्यकताओं हेतु हमारे पास सीमित संसाधन शेष रहते है। हमारी सरकार इन खर्चो की वृद्धि को रोकने के लिये कृतसंकल्प है। ऐसी योजनाऐं जो अब सामयिक नहीं है उनकी संख्या में कमी लाकर इन खर्चों को कम करने का हम प्रयास करेंगे।

13. एक सीमा से आगे वेतन तथा स्थापना व्यय को कम करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए अधोसंरचना विकास हेतु पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए हमारे पास कर राजस्व में वृद्वि, अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था तथा अनुदान में कटौती विकल्प रहते हैं। हम पर पहले से ही कर्ज का भार अत्यधिक है। इसलिए कर राजस्व में वृद्वि तथा अनुदानों में कटौती से अधोसंरचना विकास हेतु पूंजीनिवेश बढ़ाने के विकल्प पर भी हमें विचार करना होगा।

14. राजस्व घाटे को कम करने तथा सार्वजनिक पूंजीनिवेश को बढ़ाने के लिये एक मध्यकालिक राजकोषीय नीति तैयार करने हेतु राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है। आप सभी के सहयोग से हमारी सरकार इस प्रदेश को आगामी 5 वर्षों में देश के विकसित राज्यों की अग्रणी पंक्ति में लाने के लिये कृतसंकल्प है और यह बजट इसी दिशा में एक कदम है।

15. इस सदन को स्मरण होगा कि पिछली बार अंतरिम बजट की प्रस्तुति के अंत मे मैने पं. दीनदयाल उपाध्याय को उद्घृत करते हुए कहा थाः

''भविष्य से डरिये मत बल्कि उसके निर्माण में रूचि लीजिए। संजोए सपनों को संवारिये, कल्पना को कर्म से गढिए और योजना को युक्ति से पूरा कीजिये''।

उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेकर विरासत में मिली जर्जर अर्थ व्यवस्था को चुनौती के रूप मे स्वीकार करके प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के साथ यह बजट प्रदेश की जनता की सेवा में प्रस्तुत है।

16. भारत में एवम् विशेषकर मध्यप्रदेश में अति प्राचीन काल से जन, जल, जमीन, जंगल, और जानवर ये पंच–ज सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के मूल आधार रहे है। शायद इसी कारण से हमारे पूर्वजों और ब्रम्हर्षि महात्माओं ने इनको देवता की तरह प्रतिष्ठित किया है। यही परम्परा आज भी एक मूल्यवान धरोहर की तरह हमारे जन–जीवन में विद्यमान है। उपरोक्त पंच–ज हमारी मुख्य पूंजी है।

17. इस अवधारणा के महत्व को समझकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास के अनुष्ठान में इन पंच–ज का अवलम्बन लेना उपयुक्त समझा है। इनके विकास एवम् सदुपयोग से बिजली, सड़क व सिंचाई, शिक्षा व स्वास्थ्य के पांच सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्यों द्वारा प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना पूर्ण होती है।

18. आज प्रस्तुत किये जा रहे 2004–05 के बजट को मैंने इसी अवधारणा पर आधारित करने का प्रयास किया है।

ऊर्जा

19. विद्युत उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था हमारी भौतिक अधोसंरचना का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि, उद्योग तथा सेवा तीनों क्षेत्रों के ही विकास के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति आवश्यक है। विगत वर्षों में विद्युत समस्या की गंभीरता की अनदेखी की गई और दूरदर्शिता का अभाव रहा जिसका प्रदेश में विद्युत की व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हमने जनता को यह आश्वासन दिया था कि इसमें सुधार लायेंगे। हमारी सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विद्युत प्रदाय

में सुधार लाने पर विशेष ध्यान दिया है। कृषि क्षेत्र को रबी के मौसम में पर्याप्त बिजली प्रदाय करने का हमने वादा किया था, जिसे हमने पूरा किया। इसका लाभ प्रदेश को अधिक कृषि उत्पादन के रूप में प्राप्त हुआ।

20. भविष्य में विद्युत की मांग के अनुरुप उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये अतिरिक्त विद्युत उत्पादन तथा विद्युत पारेषण एवं वितरण में होने वाली हानि को कम करने के लिये आवश्यक पूंजीनिवेश करने का हमारा कार्यक्रम है।

21. इन्दिरा सागर परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता को इस वर्ष 625 मेगावाट तक बढ़ाने के लिए हमारी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। बांध की डूब से प्रभावित क्षेत्रों से नागरिकों को अन्यत्र बसाने के काम को हमने युद्ध स्तर पर किया है। हरसूद के निवासियों की पुनर्बसाहट वर्षों से लम्बित थी, जिसे हमने छह माह में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के एक दल को मौके पर ही आवश्यक पुनर्वास व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु भेजा था जिससे पुनर्वास स्थल पर विस्थापित परिवारों की मूल–भूत आवश्यकताओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। विस्थापित परिवारों द्वारा किये गये त्याग के लिए हम आभारी हैं।

22. निर्माणाधीन बाणसागर टोंस जलविद्युत परियोजना के 20 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 10–10 मेगावाट क्षमता की दो इकाईयों को, तथा 60 मेगावाट क्षमता की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की 20–20 मेगावाट क्षमता की प्रथम दो इकाईयों को जुलाई, 2005 में क्रियाशील करने का कार्यक्रम है। सरदार सरोवर परियोजना से मध्यप्रदेश के हिस्से की 360 मेगावाट बिजली प्रदेश को वर्ष 2004–05 में प्राप्त होना संभावित है। इस प्रकार अगले एक वर्ष में 920 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता उपलब्ध होगी।

23. बिरसिंहपुर ताप विद्युतगृह विस्तार परियोजना सितम्बर 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे हमें 500 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी। हम ओंकारेश्वर परियोजना को भी जून 2007 तक पूर्ण करेंगे जिससे हमें 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ प्राप्त होगा।

24. बिजली वितरण में होने वाली हानि को कम करने की दृष्टि से विद्युत पारेषण तथा वितरण प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें सुधार के लिए पूंजी निवेश की व्यवस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा नाबार्ड से ऋण प्राप्त करके की जा रही है। भारत सरकार से त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (APDRP) के अन्तर्गत भी इस हेतु सहायता राशि प्राप्त हुई है। हमारा यह प्रयास है कि इस राशि का त्वरित उपयोग कर वितरण के स्तर पर होने वाली हानि को कम किया जाए और विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। विद्युत उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली के सुधार के लिये हम स्वयं अपने स्त्रोतों से भी 25 करोड़ रूपये की धनराशि इस बजट में उपलब्ध करा रहे है।

25. पूर्व में लिए गये कतिपय निर्णयों के फलस्वरूप मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल पर देनदारियों का बोझ अत्यन्त बढ़ चुका था जिसको चुकाने की क्षमता मण्डल में नहीं है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋणों से मण्डल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था हेतु लाईन डाली गयी थी परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व्यवस्था के लाभप्रद न होने से मण्डल इन देनदारियों को नहीं चुका सका। वर्षों से लम्बित यह साहसिक निर्णय अन्त में हमारी सरकार ने लिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को मण्डल व्दारा देय देनदारियों को राज्य शासन द्वारा अपने ऊपर ले लिया जाए और इस हेतु बजट में हमने रुपये 1600 करोड़ का प्रावधान किया है।

26. विद्युत मण्डल द्वारा पूर्व में आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु बान्डस जारी किये गये थे परन्तु, मण्डल इन बान्डस का भुगतान नहीं कर सका था। इसके कारण मण्डल को व्यावसायिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। राज्य शासन इन देनदारियों को अपने ऊपर लेने के बारे में भी विचार कर रहा है और इसके लिए बजट में राशि रूपये 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

27. विद्युत मण्डल की देनदारियों को राज्य सरकार व्दारा अपने ऊपर लेने से, मण्डल बाजार से सरलता से ऋण प्राप्त कर सकेगा तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता सुधार हेतु पूंजी निवेश कर सकेगा और हम उपभोक्ताओं को उचित दर पर बिजली उपलब्ध करा सकेंगे।

28. हमें पूरी आशा है कि प्रदेश की जनता विद्युत क्षेत्र में सुधार के प्रयासों में हमारा पूरा साथ देगी। इस मौके पर मैं इस सदन के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा कि विद्युत मण्डल के प्रति बकाया राशि स्वेच्छा से निर्धारित समय में ही जमा करायें। संभव है, हमारे इन प्रयासों के बावजूद बिजली चोरी पर तुरन्त अंकुश न लग पाये। इसके लिये विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

<u>सड़क निर्माण</u>

29. प्रदेश में रेल्वे नेटवर्क अन्य राज्यों की तुलना में कम होने के कारण हमारे लिये सड़क परिवहन अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी सड़कों को विकसित राज्यों की सड़कों के समकक्ष लाना हमारा लक्ष्य है।

30. प्रदेश में सड़कों की वर्तमान दशा किसी से छिपी नहीं है। जनता ने सड़कों की दुर्दशा में सुधार करने हेतु हमें अवसर दिया है। राज्य सरकार प्रदेश की सड़कों को युद्ध स्तर पर सुधारने के लिये प्रयत्नशील है। विगत छह माहों में शासन द्वारा

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 3372 कि.मी. सड़कों का निर्माण तथा उन्नयन किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 646 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण एवं सुधार का कार्य पूरा किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम के माध्यम से बाण्ड बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत इस अवधि में 339 कि.मी. सड़कों का निर्माण पूरा किया गया है।

31. सड़क तथा पुलों के निर्माण हेतु वर्ष 2003–04 के बजट अनुमान में रूपये 576 करोड़ के विरूद्ध रूपये 717 करोड़ का प्रावधान इस बजट में हमने किया है। इस तरह वित्तीय वर्ष 2003–04 के बजट अनुमान की तुलना में रूपये 141 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में सड़कों के लिये उपलब्ध करायी हैं जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 25 प्रतिशत अधिक है।

32. विधान सभा के गत सत्र में मध्य प्रदेश की सीमाओं से लगकर स्वर्णमाला सड़क योजना एवं इस सड़क श्रृंखला से राजधानी भोपाल को जोड़ने के लिये रेडियल सड़क योजना की घोषणा की गई थी। इसे क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकार ने 21 सड़कों की पहचान की है जिनका निर्माण एवं उन्नयन का कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया जायेगा।

33. सड़क निर्माण के क्षेत्र में राज्य सरकार के बजट में उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त अधिक से अधिक निजी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम का गठन करने का निर्णय लिया गया है। निगम को विभिन्न वित्तीय माडल के अनुसार संसाधन जुटाने की स्वतंत्रता होगी। सड़क विकास निगम को एडीबी परियोजना के अंतर्गत विकसित होने वाली 1700 कि.मी. की 24 सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी के अतिरिक्त, वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन 2000 कि.मी. सड़कों का उत्तरदायित्व भी सौंपा जा रहा है। निगम की अंशपूंजी के लिये रुपये 10 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया हैं।

34. इसके अतिरिक्त मंडी निधि से रूपये 80 करोड़ तथा बांड बी.ओ.टी. सड़क हेतु बाजार से ऋण के माध्यम से रूपये 200 करोड़ की वित्तीय व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की जा रही है।

35. इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6000 कि.मी. सड़कों के उन्नयन का हमारा लक्ष्य है।

36. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अधिक राशि प्राप्त करने का हमारा प्रयास है। रुपये 600 करोड़ लागत की 3500 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का वर्ष 2004–05 में निर्माण करने का लक्ष्य है।

37. ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध धरोहर हमें विरासत में मिली है। हमारे वन प्राकृतिक सौंदर्य तथा वन्य प्राणियों से परिपूर्ण हैं। राज्य में सड़कों का विकास करते समय ऐसे ऐतिहासिक, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है तथा ऐसे स्थलों पर पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों को टूरिस्ट सरकिट के रूप में जोड़कर उनका प्रचार–प्रसार किया जाएगा।

38. मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर समुचित परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। हमने लगभग 100 ऐसे मार्गों को चिन्हित किया है जिन पर निजी बस संचालकों को बस चलाने की छूट दी जायेगी जिससे प्रदेश में बेहतर सड़क परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी।

सिंचाई सुविधा

39. सिंचाई सुविधा हमारी कृषि–अर्थव्यवस्था का आधार है परन्तु प्रदेश में सिंचाई सुविधा लगभग 39 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत से बहुत कम है।

पिछले दस सालों में इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई थी। हमारा यह संकल्प है कि अगले 5 वर्षों में 50 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। इसी के अनुरूप सिंचाई सुविधा के विकास हेतु आवश्यक धन राशि की व्यवस्था हमने बजट में की है। वर्ष 2004–05 के बजट अनुमान में सिंचाई हेतु पूंजीगत व्यय के लिये रुपये 1567 करोड़ की राशि रखी गयी है जो कि वर्ष 2003–04 के बजट अनुमान रुपये 1090 करोड़ से 44 प्रतिशत अधिक है।

40. त्वरित सिंचाई लाभ योजना अर्थात ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में रूपये 492 करोड़ जल संसाधन विभाग तथा रूपये 567 करोड़ का प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए किया गया है। इस धनराशि से बरगी डायवर्सन नहर, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, बाणसागर, राजघाट, बावनथड़ी, माही, महान, सिंध फेज एक एवं फेज दो, बरियारपुर, आदि योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने का लक्ष्य है। वृहद केन तथा पेंच परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु भी हम प्रयास कर रहे हैं।

41. नाबार्ड की वित्तीय सहायता से सिंचाई परियोजनाओं हेतु रूपये 165 करोड़ की धनराशि जल संसाधन विभाग तथा रूपये 145 करोड़ की राशि नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिये इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गई है।

42. पूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के रखरखाव की उपेक्षा होने से अनेक परियोजनाओं के सिंचाई तन्त्र जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पहुंच गये हैं, इससे केवल आधे कमाण्ड क्षेत्र को ही सिंचाई का लाभ मिल पा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से लगभग रुपये 1919 करोड़ की लागत से मध्यप्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट कियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के कियान्वयन से पांच नदी कछारों की परियोजनाओं में रुपांकित सिंचाई क्षमता को पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। इससे लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अनुमान है कि इससे लगभग दो लाख कृषक परिवारों को

कृषि–आय में वृध्दि एवं लगभग चार लाख परिवारों को विभिन्न रोजगार अवसरों का लाभ प्राप्त होगा।

43. निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने का हमने प्रयास किया है जिससे इनका लाभ जल्दी से जल्दी हमारे किसानों को प्राप्त हो सके। इन परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण कर लगभग 1.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित करने का हमारा लक्ष्य है।

44. सिंचाई परियोजनाओं के संचालन में किसानों की भागीदारी बढ़ाने हेतु जल उपभोक्ता संस्थाओं की स्थापना की गई है। इन संस्थाओं को वितरण नहरों के रख–रखाव की जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी परन्तु इसके लिये उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशि आवश्यकता के मान से कम थी। इसलिये इस अनुरक्षण सहायता की राशि रूपये 50 प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर रूपये 100 प्रति हेक्टेयर करने का हमने निर्णय लिया है और इसके लिये बजट में रूपये 16.90 करोड़ का प्रावधान किया है।

45. नर्मदा घाटी विकास विभाग हेतु नये कार्यों के सर्वेक्षण के लिये रूपये 14 करोड़ तथा जलसंसाधन विभाग के लिये रुपये 6.15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान बजट में किया गया है। इससे हम नयी परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर सकेंगे। हमारी सरकार अन्तर्कछारीय लिंक परियोजनाओं का क्रियान्वयन चाहेगी। केन–बेतवा तथा पार्वती–कालीसिंध–चम्बल लिंक परियोजनाओं के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

<u>नगरीय अधोसंरचना</u>

46. औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास हेतु नगरीय अधोसंरचना का विकास आवश्यक है। अपनी नगरीय अधोसंरचना का विकास कर हम न केवल अपने नागरिकों को बेहतर सेवायें ही उपलब्ध कराते हैं, अपितु विश्वव्यापीकरण के इस युग में प्रदेश में पूंजी निवेश आकर्षित करने में भी इससे हमें मदद मिलती है। नगरीय क्षेत्रों के अधोसंरचना विकास के लिए नगरीय निकायों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आवश्यक है। वर्ष 2004–05 में द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को मान्य करते हुए हमारी सरकार ने इन्हें और अधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष नगरीय निकायों को मूलभूत सुविधाओं के लिये गत वर्ष की तुलना में रूपये 35 करोड़ अधिक उपलब्ध कराया गया है।

47. प्रदेश के 6 नगरों की जल आपूर्ति, जल–मल निकासी और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से सहायता प्राप्त कर लगभग रुपये 1500 करोड़ की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इस परियोजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अभी तक भोपाल, इन्दौर, जबलपुर तथा ग्वालियर नगर निगमों ने सहमति दी है।

48. इसके अतिरिक्त प्रदेश के नगरीय निकायों में पेयजल व्यवस्था, सड़कों के निर्माण, नालियों की व्यवस्था तथा पथ प्रकाश आदि के लिए शहरी सुधार प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग रूपये 28 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

49. भोपाल नगर को आदर्श राजधानी के रुप में विकसित कराने का हमारा संकल्प है। भोपाल नगरवासियों को नर्मदा जल उपलब्ध कराने के हमारे संकल्प के साथ अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।

उद्योग तथा रोजगार

50. हमारा संकल्प है कि प्रदेश को उद्योग मित्र राज्य बनायेंगे तथा बेरोजगारी समाप्त करेंगे। विगत वर्षों में प्रदेश के औद्योगिक विकास की गति अवरूद्व थी। हमारे औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित अनेक उद्योग बन्द हो गये थे अथवा बन्द होने की कगार पर थे। विश्व–व्यापीकरण तथा उदारीकरण के अनुरूप अधोसंरचना सुविधा सुनिश्चित न कर पाने के कारण प्रदेश में नवीन पूंजी निवेश प्रभावित हुआ था। इससे प्रदेश में रोजगार के नये अवसर निर्मित करने की गति धीमी हो गयी थी। हमारी सरकार ने औद्योगिक संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना तैयार की है और इसके माध्यम से प्रदेश में नये पूंजी निवेश को आकर्षित करने तथा बीमार एवं बन्द पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हमारा प्रयास है।

51. महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष ब्याज अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ विधवा, परित्यकता, विकलांग भी उठा सकेंगे। लघु उद्योगों हेतु भी वित्तीय सहायता, करों में छूट, रियायती दरों पर भूमि, आदि की सुविधायें उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

52. रोजगार निर्माण के लिए क्रियान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में समग्र मानव संसाधन विकास को प्राप्त करने के लिये स्वरोजगार आधारित आर्थिक विकास का माडल विकसित करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक जिले के लिये उपलब्ध स्थानीय संसाधनों एवं मांग पर आधारित एकीकृत रोजगारोन्मुखी विकास योजना तैयार करना तथा रोजगार के अवसरों का सृजन एवं बढ़ावा देने के लिये उन्नत तकनीकी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना इस बोर्ड के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं।

53. रोजगार के अवसरों में वृद्वि के लिए कामगार संघ अर्थात गिल्ड स्थापित किये जायेंगे। ये गिल्ड प्रशिक्षण के साथ उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्र की आवश्यकताओं के

अनुरूप बेरोजगारों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम तैयार कर इन्हें प्रशिक्षित करेंगे व इनके कौशल प्रमाणीकरण का कार्य भी करेंगे ताकि प्रशिक्षित एवं कुशल मानव संसाधनों को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। गिल्ड के माध्यम से कामगारों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करने वाला मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य होगा।

54. प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये पर्याप्त संख्या में तकनीकी दक्षता प्राप्त मानव संसाधनों का उपलब्ध होना उदारीकरण के युग में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना गत वर्ष प्रारंभ की गई है। इस परियोजना हेतु हमने वर्ष 2004–05 में रूपये 10 करोड़ का प्रावधान किया है।

55. वन सम्पदा न केवल पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि वह हमारे वनवासियों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराती है। पिछले वर्षों में वनों के पुनरूत्पादन हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने से वनों से उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे एक तरफ वनों के दोहन से प्राप्त होने वाले राजस्व से राज्य को वंचित होना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे वनवासियों को रोजगार के अवसर खोने पड़े हैं। हमारी सरकार ने वनवासियों की रोजगार की आवश्यकताओं को समझते हुये वनों के पुनरूत्पादन हेतु रूपये 117 करोड़ की धनराशि वित्तीय वर्ष 2004–05 के बजट में रखी है जो वर्ष 2003–04 के बजट प्रावधान से 28 प्रतिशत अधिक है। इससे रोजगार के अतिरिक्त अवसर वनवासियों को प्राप्त होंगे।

56. वनवासियों की रोजगार तथा आय में वृद्धि के लिये वनौषधि की खेती का विकास किया जायेगा जिससे मध्य प्रदेश वनौषधि उत्पादन के क्षेत्र में देश का केन्द्र बिन्दु बन सके।

<u>कृषि</u>

57. अभी भी अधिकांश मुख्य फसलों की हमारी उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। उत्पादकता के इस अंतर को कम करके देश के अग्रणी राज्यों में सम्मिलित होना हमारा ध्येय है। हम नयी कृषि नीति तैयार कर रहे हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र आधारित रणनीति अपनायी जायेगी।

58. कृषकों को साख, बीज एवं उर्वरक आदानों की समुचित व्यवस्था किया जाकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक गतवर्ष की तुलना में 171 प्रतिशत साख वितरण, 105 प्रतिशत बीज वितरण एवं 255 प्रतिशत उर्वरक वितरण किया गया है। इस वर्ष लगभग 4340 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कम से कम 100 नये कृषकों को प्रत्येक बैंक शाखा में साख उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ताकि बैंक प्रणाली से छूटे हुए सभी किसानों को ऋण प्राप्त हो सके। सभी कृषकों को किसान क्रेडिट–कार्ड उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास होगा।

59. बंजर एवं पड़त भूमि, जो प्रदेश में लगभग 20 लाख हेक्टेयर है को कृषि योग्य बनाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी एवं बागवानी विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा। जैविक खेती के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य होगा।

<u>पशुपालन</u>

60. डेयरी क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से सहकारी डेयरी नीति 2004 तैयार की जा रही है। प्रत्येक जिले में डेयरी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। प्रोडक्ट डायवर्सिफिकेशन के लिये रुपये 4.66 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

61. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिये राज्य में मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संर्वधन बोर्ड तथा जिला गौपालन एवं पशुधन संर्वधन समितियां गठित

की जा रही है। गौवंश आधारित समग्र विकास के साथ–साथ गौवंश संरक्षण एवं अन्य पशुधन संर्वधन का कार्य किया जावेगा। गौशालाओं व्दारा उत्पादित जैविक खाद तथा गौमूत्र से कीटनाशक दवाओं के विपणन के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे। गौशालाओं के संचालन में महिला समूह की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। गौशालाओं की स्थापना हेतु सहायता देने के लिये वर्ष 2004–05 के बजट में रुपये 1.5 करोड़ का प्रावधान है जो इस हेतु मण्डी निधि से उपलब्ध करायी जा रही राशि रुपये 5.65 करोड़ के अतिरिक्त है।

मछलीपालन

62. प्रदेश में सिंचाई तथा निस्तार तालाबों के रुप में विपुल जल भण्डार उपलब्ध हैं। इन जल भण्डारों का लाभ सिंचाई तथा निस्तार के अतिरिक्त मत्स्य उत्पादन के लिये भी प्राप्त होता है। इंदिरा सागर जैसी परियोजनाओं के पूर्ण होने से इस संचित जल भण्डार में वृद्धि हो रही है। इस संचित जल भण्डार का अधिकाधिक उपयोग मत्स्य उत्पादन के लिये करने हेतु सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की गई है। समिति की अनुशंसा प्राप्त होने पर शासन इस हेतु नीति निर्धारित करेगा।

ग्रामीण विकास

63. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिये हमें भारत शासन से सहायता प्राप्त होती है। इस वर्ष हमने भारत सरकार से अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिये राज्यांश के रूप में राशि रूपये 241 करोड़ का बजट प्रावधान किया है, जो गतवर्ष की तुलना में 26 करोड़ रुपये अधिक है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश को रूपये 100 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।

64. पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विकास की गति बढ़ाने के लिये अन्य योजनाओं के साथ–साथ अतिरिक्त योजनाएं चलाने की आवश्यकता है। इसी कारण शासन व्दारा विदेशी सहायता से दो योजनाएं चलायी जा रही हैं। पूर्व वर्ष से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में इस वर्ष रुपये 80 करोड़ का अधिक प्रावधान रखा गया है। एक नवीन कार्यक्रम मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना इस वर्ष 6 जिलों में प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के तहत 600 ग्रामों में लगभग 45,000 परिवारों की आजीविका उपार्जन में बढ़ोतरी कराने का हमारा लक्ष्य है जिसके लिये हमने रुपये 10 करोड़ का प्रावधान रखा है।

65. मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत रुपये 112.5 करोड़ का प्रावधान रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में रुपये 67.5 करोड़ अधिक है। हमारा यह प्रयास होगा कि बिहार राज्य की भांति हम भी अधिक से अधिक राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त करें।

66. पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है ताकि वह प्रभावी रूप से विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर सकें। द्वितीय राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष पंचायतों को दिए जा रहे समनुदेशन में हमने उल्लेखनीय वृद्धि की है। पंचायतों को मूलभूत कार्यो के लिए दी जाने वाली राशि में गतवर्ष की तुलना में रूपये 67 करोड़ वृद्धि का प्रावधान है।

शिक्षा

67. प्रदेश के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को यथार्थ करने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। साथ ही उनकी उच्च शिक्षा के लिए अनुकूल अवसर निर्मित किए जायेंगे। बालिका शिक्षा में हमारा प्रदेश अभी तक पीछे रहा है। इसलिए हम शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठाने जा रहे हैं।

68. सर्व शिक्षा अभियान में इस वर्ष रूपये 1130 करोड़ की वार्षिक योजना प्रदेश के लिये स्वीकृत की गई है जो गत वर्ष की योजना से 362 करोड़ अधिक है। वर्ष 2004–05 में 3514 शिक्षा गारंटी शालााओं का प्राथमिक शालाओं में तथा 852 प्राथमिक शालाओं का माध्यमिक शालाओं में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार व्दारा प्रारंभिक शिक्षा हेतु 2 प्रतिशत उपकर लगाने का निर्णय लिया गया है। परंतु इस उपकर से प्राप्त होने वाली पूरी आय को केन्द्र सरकार व्दारा अपने पास रखा जा रहा है। चूंकि प्रारंभिक शिक्षा का कियान्वयन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी मांग है कि यह राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध करायी जाए।

69. यह अनुभव किया गया है कि हमारी शालाओं में उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का लाभ शालाओं में बच्चों के दाखिले तथा पढ़ाई की निरन्तरता पर पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रदेश की समस्त प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम दिनांक 1 जुलाई 2004 से प्रारम्भ कर दिया है।

70. प्रदेश के 284 विकास खण्डों में, जहां महिला साक्षरता दर कम है, वहां बालिकाओं के लिए विशेष योजना प्रारम्भ की जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत लगभग 44 लाख बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जावेगा। अनामांकित एवं शाला त्यागी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 11 हजार सेतु पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जायेंगे।

71. यह अनुभव रहा है कि छोटे भाई–बहन की देख–रेख करने के कारण कई बालिकाएं स्वयं शाला नहीं जा पाती हैं। इस समस्या के निदान के लिए 13,400 शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जावेगी। 2800 माध्यमिक शालाओं को बालिका शिक्षा हेतु मॉडल क्लस्टर शाला के रूप में विकसित किया जाकर विभिन्न प्रकार की सुविधायें दी जावेंगी। पच्चीस कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना इस वर्ष आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में की जावेगी।

72. शिक्षा के प्रसार में 36,000 संविदा शिक्षकों की भर्ती अगले दो माह में की जावेगी जिसमें से 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

73. मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य एवं जिला स्तर पर उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों हेतु एक पुरस्कार योजना प्रारम्भ की गयी है। शैक्षणिक कार्य में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा करीब एक लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को आगामी दो वर्ष में प्रशिक्षित किया जायेगा।

74. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् हाईस्कूल की पढ़ाई करने में अक्सर बालिकाओं को अपने गांव से दूर जाना पड़ता है । सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर नवीं कक्षा में दूसरे ग्राम में स्थित हाईस्कूल में प्रवेश लेने वाली अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं को सायकल प्रदाय की जाएगी जिससे वे अपनी शिक्षा जारी रख सकें। इस वर्ष 50,000 छात्राओं के लाभान्वित होने का अनुमान है।

75. महाविद्यालयीन छात्राओं हेतु छात्रावास स्थापित करने की नवीन योजना प्रारंभ की जा रही है। इससे हमारे ग्रामीण अंचल में रहने वाली बालिकाएं शहरों में छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकेंगी।

76. जिन स्थानों पर महाविद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध नहीं है वहां मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के 13 अध्ययन केन्द्र खोलेंगे।

77. हमारी सरकार प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं का विकास करना चाहती है। प्रदेश में नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, परन्तु पिछले वर्षों में वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण इस संस्था का विकास कार्य

अवरूद्ध था। इस वित्तीय वर्ष में इस संस्था के विकास के लिये 11 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई हैं।

78. चिकित्सा महाविद्यालय दक्ष तथा प्रशिक्षित डाक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धि सुनिश्चित करते हैं। चिकित्सा महाविद्यालयों में अध्यापन हेतु निर्धारित अर्हता वाले अध्यापकों की कमी के कारण इनमें अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा था। प्रदेश के पांच चिकित्सा महाविद्यालयों में 221 अतिरिक्त पदों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है।

<u>स्वास्थ्य</u>

79. सामुदायिक स्वास्थ्य के संकेतकों की दृष्टि से मध्य प्रदेश की देश के पिछड़े हुये राज्यों में गणना होती है। इन संकेतकों में सुधार लाने के लिये हम कृतसंकल्प है।

80. प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और सकल जन्म दर में कमी लाने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य मिशन चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी चिन्हाकित अस्पतालों को सुदृढ़ करते हुए उनमें सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराना है। गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी और प्रसव के दौरान होने वाले इलाज से संबंधित सभी खर्चे शासन वहन करेगा। जच्चा एवं बच्चा को प्रसव के बाद कम से कम तीन दिन तक अस्पताल में रखना सुनिश्चित किया जावेगा। इस योजना के लिये रुपये 23 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

81. गरीब वर्गों के स्वास्थ्य की जरूरतों की पूर्ति एक बड़ी चुनौती रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर तबका रहा है। गरीबी के कारण यह वर्ग या तो स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने से

वंचित रह जाता है अथवा कर्ज में डूब जाता है। एक नयी योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें उक्त वर्गों के निर्धन परिवारों के सदस्यों के ईलाज एवं विभिन्न प्रकार की आवश्यक स्वास्थ्य जांच हेतु व्यवस्था की जायेगी।

82. शासकीय अस्पतालों में विशेषज्ञों की आवश्यकतानुसार पूर्ति युक्ति–युक्ति करण तथा संविदा नियुक्तियों व्दारा की जावेगी।

सामाजिक न्याय

83. समाज के अशक्त लोगों की सहायता करना हमारा उत्तरदायित्व है। प्रदेश में 11 लाख से अधिक व्यक्ति किसी न किसी निशक्तता से ग्रस्त हैं। पंडित दीनदयालजी की प्रेरणा से हमारी सरकार निशक्तजनों के लिये एक योजना ''**पंडित दीनदयाल समर्थ 2004**'' उनकी जन्मतिथि 25 सितम्बर से पूरे प्रदेश में लागू करने जा रही है।

84. इस योजना के तहत शासकीय तथा गैर–शासकीय रूप से संचालित शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया जाएगा ताकि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित न रहे। जिलों में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की मदद से निःशक्तता से बचाव और उसकी शीघ्र पहचान का कार्य किया जाएगा। साथ ही जिला स्तर पर विकलांग पुनर्वास केन्द्रों का विकास भी किया जाएगा।

85. शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक भवनों में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बाधारहित आवागमन की सुविधायें विकसित की जायेंगी।

86. तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से निःशक्तजन को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हे स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु सक्षम भी बनाया जावेगा। साथ ही निःशक्त

व्यक्तियों के लिए शासकीय सेवा में 6 प्रतिशत पदों के आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

87. हमारी सरकार का यह मानना है कि गरीब महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान भी मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करना पड़ता है। चूंकि अधिकांश महिलाएं अभी भी असंगठित क्षेत्र में ही मजदूरी करती हैं, उन्हें संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर प्रसूति सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। परिणामस्वरुप हमारे प्रदेश में प्रसव के दौरान मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है। हमारी सरकार ने इस स्थिति को बहुत ही गंभीरता से लिया है और इस हेतु हमने एक नवीन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिये रुपये 2.24 करोड़ का प्रावधान किया है।

88. समाज में गरीबी का एक प्रमुख कारण विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिये उच्च ब्याज दर पर स्थानीय साहूकारों से लिया जाने वाला ऋण है। सरकार का विचार है कि जहां एक ओर ऐसी सामाजिक परम्पराओं में परिवर्तन लाने के लिये समाज में जागरुकता लाने की आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर निर्धन परिवारों को साहूकारों के शोषण से बचाने के लिये उनकी ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी समुचित व्यवस्था की जानी है। अनुसूचित जाति वर्ग के अत्यन्त गरीब परिवारों को पुत्रियों की शादी के लिये रुपये 5000 सहायता देने हेतु एक नयी योजना लागू की जायेगी।

89. ग्राम स्तर पर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सभी 52,727 गांवों में अन्नकोष स्थापना की गई है। प्रति गांव रुपये 101 के हिसाब से अन्नकोष के लिये हम अपना सांकेतिक अंशदान करेंगें। हमें आशा है कि प्रेरित होकर ग्रामवासी अपने अन्नकोष में दान देकर खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस अन्नकोष के जरिये वृद्ध, अशक्त एवं निःसहाय व्यक्तियों के लिये खाद्यान्न सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

प्रशासनिक सुधार

90. जिला सरकार की व्यवस्था के कारण निर्वाचित पंचायत राज संस्थाओं के अधिकारों के अतिक्रमण को हमारी सरकार व्दारा गंभीरता से लेते हुए उसे समाप्त कर दिया गया है। शासकीय कार्य तथा जनकल्याण के कार्यक्रमों के सुचारु रुप से क्रियावन्यन के लिये जिन वित्तीय अधिकारों की मैदानी स्तर पर प्रत्यायोजन की आवश्यकता थी, हमारी सरकार व्दारा वे अधिकार जिला स्तर पर ही जिला पंचायत तथा विभागीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दिये गये हैं। इससे मान्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सत्ता का विकेन्द्रीकरण तथा शासकीय कार्यक्रमों का सुचारु क्रियान्वयन हो सकेगा।

91. ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं के निराकरण हेतु ग्राम सचिवालय व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अंतर्गत विकासखण्ड, उप विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर पर त्रि–स्तरीय व्यवस्था **लोक मान्य तिलक** के जन्म दिन के शुभ अवसर पर दिनांक 1 अगस्त, 2004 से लागू की जा रही है।

92. हमें आशा है कि जनकल्याण की जिन योजनाओं की हमने परिकल्पना की है उनके क्रियान्वयन के लिये हमें अपने शासकीय कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। अपने कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं की उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यथासंभव पूर्ति करने का हम प्रयास करेंगे। हमने प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। लेकिन 80,000 शिक्षाकर्मी इस लाभ से वंचित रह गये थे। अब हमने निर्णय लिया है कि शिक्षाकर्मियों को भी यह लाभ दिया जाए। माह अगस्त 2004 से सभी शिक्षाकर्मियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते में 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी। अब उनका कुल महंगाई भत्ता 210 प्रतिशत होगा। इस पर रूपये 16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा।

93. उपलब्ध संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार कर्मचारियों को आवास निर्माण, शिक्षा, वाहन क्रय, व्यक्तिगत ऋण आदि के लिये अग्रिम उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। कर्मचारियों की इन वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति वित्तीय संस्थाओं की सहायता से करने हेतु एक योजना तैयार की जा रही है।

'' तुम ये न समझ लेना,
कि हम वादा शिकन निकले।
कुछ देर तो लगती है,
वादों को निभाने में।।''

94. यह अनुभव किया गया है कि बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा पर धनराशि व्यय करने में अभी भी संकोच है। बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए हमने निर्णय लिया है कि तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग के शासकीय कर्मचारियों द्वारा बालिकाओं की व्यावसायिक शिक्षा हेतु बैंको से ऋण प्राप्त करने पर राज्य शासन तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध करायेगी।

95. शासकीय धन के व्यय में पारदर्शिता लाने के लिये हमारी सरकार व्दारा कदम उठाये गये हैं। भारतीय संविदा अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध कतिपय प्रकरणों में प्राप्त न्यूनतम निविदा की स्वीकृति के पश्चात निविदाकार व्दारा उसे छोड़ने पर मात्र उसकी अर्नेस्ट मनी राजसात करते हुये व्दितीय न्यूनतम निविदाकार को उसके व्दारा दिये गये प्रस्ताव के अनुसार ठेका स्वीकृति के मामले सामने आये हैं। मध्यप्रदेश वित्त संहिता में इस बारे में स्पष्ट उपबन्ध नहीं थे। हमने यह निर्णय लिया है कि मध्यप्रदेश वित्त संहिता में इस अनुरुप संशोधन किया जाए।

96. राज्य शासन द्वारा बुलाई जाने वाली निविदाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रानिक टेण्डरिंग अर्थात इंटरनेट के माध्यम से टेंडर प्राप्त किये जाने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गई है।

प्राप्तियां

97. कर अपवंचन की रोकथाम के लिये सरल एवं प्रभावी व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जाएगी। हमारी सरकार ने राज्य में नई पारदर्शी आबकारी नीति घोषित कर उसका कियान्वयन किया है। परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004–05 के प्रथम दो माह में गत वर्ष की तुलना में लगभग 42 प्रतिशत राजस्व वृद्धि परिलक्षित हुई है।

98. पंजीयन मुद्रांक शुल्क संग्रहण में भी उक्त दो माह में 33 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक कर, केन्द्रीय विक्रय कर एवं प्रवेश कर में लगभग 22 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि प्राप्त की गई है।

99. कराधान प्रणाली को सरल, सहज, सुगम तथा पारदर्शी बनाने की दृष्टि से आवश्यकतानुसार प्रशासकीय तंत्र का युक्तियुक्तकरण किया जाना विचारणीय है। फर्जी पेपर स्टाम्प संबंधी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिला मुख्यालय पर फ्रेंकिंग मशीन स्थापित की गई हैं।

100. इस प्रकार कर राजस्व संग्रहण को सरल तथा प्रभावकारी बनाते हुये करदाताओं के सहयोग से कर संग्रहण को गतवर्ष के पुनरीक्षित अनुमान रूपये 6633.20 करोड़ की तुलना में वर्ष 2004–05 में राशि रूपये 1164 करोड़ की वृद्धि अर्जित किये जाने का अनुमान है।

101. वित्तीय वर्ष 2004–05 में रूपये 17251.97 करोड़ की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं, जो वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 2493.80 करोड़ अधिक है। लोक ऋण की शुद्व प्राप्तियां वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 1494.51 करोड़ कम होकर रूपये 6305.18 करोड़ होना अनुमानित है।

102. प्रदेश के विकास की हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिये धनराशि आवश्यक है। परन्तु प्रदेश की सत्ता की बागडोर

संभालने के समय हमें कठिन राजकोषीय स्थिति विरासत में प्राप्त हुई है। इस दुर्बल राजकोषीय स्थिति के बावजूद हमारा प्रयास है कि हमारे करदाताओं की व्यवहारिक परेशानी कम हो और प्रदेश के विकास के लिये अधिकाधिक वित्तीय संसाधन जुटाये जा सकें।

103. अल्प बचत योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के नागरिक न केवल अपनी बचत पर पर्याप्त ब्याज अर्जित करते हैं बल्कि इससे प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक ऋण राशि भी उपलब्ध होती है तथा पुराने मंहगे कर्जों की सस्ते कर्ज से बदलने की सुविधा भी मिलती है। वर्ष 2003–04 में अल्प बचत योजनाओं के अंतर्गत शुद्ध संग्रहण रुपये 2256.74 करोड़ था जो वर्ष 2002–03 की तुलना में रुपये 303.63 करोड़ अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य रूपये 3100 करोड़ है।

104. हम चाहते हैं कि हमारे किसान भी अल्प बचत योजनाओं का लाभ उठाएं। प्रदेश के सभी जिलों में अल्पबचत योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये जिला स्तरीय प्रोत्साहन योजना लागू की जा रही है।

<u>व्यय</u>

105. वर्ष 2004–05 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय के लिए रूपये 14668.57 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमान से रूपये 2242.80 करोड़ कम है। किन्तु आयोजनेत्तर पूंजीगत व्यय रुपये 2152.81 करोड़ अनुमानित है जो कि मुख्यतः मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की विभिन्न देनदारियों के समाधान हेतु दी जा रही आर्थिक सहायता के कारण है। सकल आयोजनेत्तर व्यय में वर्ष 2003–04 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में कोई वृद्धि अनुमानित नहीं है।

106. योजना आयोग द्वारा वर्ष 2004–05 के राज्य आयोजना के आकार को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हमारे द्वारा वर्ष 2004–05 में सामान्य योजना में रूपये 4,055 करोड़, आदिवासी उपयोजना में रूपये 1,497 करोड़ एवं विशेष घटक योजना में रूपये 779 करोड़, रक्षित निधियों से 275 करोड़, कुल रूपये 6,606 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो पुनरीक्षित अनुमान 2003–04 से 20 प्रतिशत अधिक है। उल्लेखनीय है कि आदिवासी उप योजना प्रावधानों में यह वृद्धि 40 प्रतिशत एवं विशेष घटक योजना में 16 प्रतिशत है।

107. वर्ष 2004–05 के आयोजना मद में राज्य आयोजना के अतिरिक्त भारत सरकार से प्राप्त होने वाली संभावित राशि के व्यय का प्रावधान भी रखा गया है। आयोजना के वित्त पोषण के लिए भारत सरकार से ऋण एवं अनुदान के रूप में रूपये 1,128 करोड़ तथा अन्य संस्थाओं आदि से रूपये 56 करोड़, इस प्रकार कुल रूपये 1,184 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे। इसके फलस्वरूप सकल आयोजना परिव्यय रूपये 7,791 करोड़ अनुमानित है, जो पुनरीक्षित अनुमान 2003–04 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है।

108. अध्यक्ष महोदय, देश की आर्थिक विकास दर का लक्ष्य 8 प्रतिशत है। वर्तमान केन्द्र सरकार सौभाग्यशाली है कि उसे 8 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रही अर्थ व्यवस्था पिछली सरकार से प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आगे भी इसी दर से तभी बढ़ सकती है जब पिछड़े हुए राज्य, जिनमें विकास की प्रचुर संभावनायें हैं, उनकी अर्थव्यवस्था भी इसी दर से बढ़े। परन्तु पिछले दिनों प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में हमारे राज्य के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। केवल बैकवर्ड स्टेट्स ग्रान्ट कमीशन के माध्यम से भविष्य में सहायता उपलब्ध कराने का सपना दिखाया गया है। बिहार की तरह ही मध्यप्रदेश के लिये भी विशेष पैकेज प्राप्त करने में आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है। इस बजट के माध्यम से हमने आयोजनागत पूंजी व्यय गत वर्ष की तुलना में 20

प्रतिशत अधिक करने का प्रावधान किया है। प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए हम कृतसंकल्प है।

राजकोषीय स्थिति

109. हमारी कुल प्राप्तियां रूपये 24,074.42 करोड़ है और कुल व्यय रूपये 24,361.08 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि तथा गैर आयोजना राजस्व व्यय में कटौती के फलस्वरुप राजस्व घाटे में कमी हुई है तथा यह अनुमान है कि वर्ष 2004–05 के लिये राजस्व घाटा रुपये 1,009 करोड़ रहेगा परंतु राजकोषीय घाटा वर्ष 2004–05 के लिये रुपये 7,061 करोड़ रहने की संभावना है। अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय घाटे के बारे में आप सभी का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा कि इस घाटे में से 50 प्रतिशत राशि अधोसंरचना विकास हेतु पूंजीगत व्यय के कारण तथा 30 प्रतिशत राशि विद्युत मंडल व्दारा पूंजीगत व्यय के लिये गये ऋणों के समाधान के कारण है। मात्र 14 प्रतिशत अंश चालू खर्चो के कारण है। इस प्रकार हमारा यह प्रयास है कि हम अपने चालू खर्चो के लिये ऋण का उपयोग न करें। इस प्रकार हमारे राजकोषीय घाटे का स्वरुप पहले से भिन्न है और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन का द्योतक है।

110. वर्ष 2004–05 के अनुमानित शुद्ध लेन–देन ऋणात्मक रुपये 286.66 करोड़ है। यद्यपि आय–व्यय पत्रक में वर्षान्त की स्थिति में बजट घाटा रुपये 1272.85 करोड़ दिखाया गया है, यह वस्तुतः प्रारंभिक शेष ऋणात्मक रुपये 986.19 करोड़ के कारण है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2004 को राज्य का खाता रुपये 266.78 करोड़ ऋणात्मक था। महालेखाकार से प्राप्त अंतरिम जानकारी के अनुसार प्रारंभिक शेष और कम होने की संभावना है। इस तरह वर्षान्त 2004–05 की स्थिति में अंतिम शेष रुपये 250 से 300 करोड़ ऋणात्मक होना

अनुमानित है। इस घाटे की पूर्ति अतिरिक्त संसाधनों को जुटाकर की जायेगी जिसके बारे में अब मैं उल्लेख करने जा रहा हूं।